

प्रपत्र-क

किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन (व्यक्तिगत किसान के लिए)					
आवेदक					
समूह का नाम (यदि समूह के माध्यम से आवेदन कर रहा है)					
पिता/पति का नाम					
उम्र					पासपोर्ट साईज फोटो
लिंग					
जिला					
प्रखण्ड					
पंचायत					
ग्राम					
जाति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य				
कुल रकबा (एकड़ में)					
जमीन का विवरण					
क्रम संख्या	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	रकबा (डिस्मिल में)	कुल
फसल का विवरण					
क्रम संख्या	फसल का नाम		रकबा	उपज	
सिंचाई जल स्रोत	नदी/तालाब/डोभा/कुआ				
आधार संख्या					
मोबाइल नंबर					
<p>मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं योजना के निर्देशिका के अनुसार पात्र आवेदक हूँ। किसी भी समय मेरे द्वारा घोषित जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से दे रहा हूँ। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि योजना का लाभ लेने के लिए मैं Escrow Bank Account में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस तरह की योजना का लाभ किसी भी सरकारी योजना में नहीं लिया है तथा मेरे पास इस तरह की इकाई नहीं है। मैं अपने परिवार से इस योजना हेतु एकल आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं समूह के सदस्य के रूप में नहीं कर रहा/रही हूँ।</p>					
संलग्नक:					अनुमोदित
<ol style="list-style-type: none"> 1. राशन कार्ड का फोटो कॉपी 2. जमीन का मालगुजारी रसोद का फोटो कॉपी 3. आधार कार्ड का फोटो कॉपी 4. वंशावली/शपथ पत्र की फोटो कॉपी 5. PM Kisan का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 6. जल स्रोत का प्रमाण-पत्र (ग्राम सभा द्वारा) 			आवेदक का हस्ताक्षर		ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर Mob. No.- दिनांक-

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

कुल रकबा

समूह द्वारा खेती का विवरण

क्रम संख्या	फसल का नाम	रकबा (एकड़ में)
सिंचाई जल स्रोत	नदी	तालाब
		डोभा /कुआं

घोषणा / सहमति

इस समूह के सभी सदस्य यह घोषणा करते हैं की योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार समूह पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। समूह योजना का लाभ लेने के लिए समूह द्वारा एस्करो (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस समूह दवारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी श्रोत से नहीं लिया गया है और ना हो समूह और समूह के सदस्यों या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। समूह के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। समूह के सदस्यों की और से समूह के अध्यक्ष e-KYC कराएंगे।

संलग्नक :-

- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद

समूह के अध्यक्ष का हस्ताक्षर

अनुमोदित

ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर

मोबाइल नंबर:
दिनांक—

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

